उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

संख्या- 24 /2019/691 /सत्तर-4-2019-1035/2018

लखनऊः दिनांक- 28 मार्च, 2019

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-20/2019/360(1)/सत्तर-4-2019-1035/2018, दिनांक 25.03.2019 द्वारा तीन विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों के सम्मुख अंकित धनराशि की स्वीकृति के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त स्वीकृति आदेश के प्रस्तर-1 के क्रमांक-2-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के प्रस्ताव-2.1 के सम्मुख अंकित हिन्दी एवं भारतीय भाषा विभाग के अंतर्गत ''गोरखनाथ भाषा एवं साहित्य अध्ययन केन्द्र'' हेतु रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का आदेश लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- शासनादेश संख्या-20/2019/360(1)/सत्तर-4-2019-1035/2018, दिनांक 25.03.2019 द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के प्रस्ताव-2.1 के सम्मुख अंकित हिन्दी एवं भारतीय भाषा विभाग के अंतर्गत ''गोरखनाथ भाषा एवं साहित्य अध्ययन केन्द्र'' के प्रस्ताव एवं तदहेतु रू0 5.00 लाख (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति को शून्य माना जाए तथा स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 25.03.2019 को उक्तानुसार संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 25.03.2019 की समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

मनोज कुमार

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज ।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
10. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

उप सचिव।

HE 4 UO 2019